फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

लाभ सिंह बनाम भीमचंद आदि

251ए आर.टी.ए

किस्म मुकदमाः- प्रकरण सं0 01 वर्ष 2015(63/2012 न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर)

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में जगदीश सिंह पुत्र गुरदत सिह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प कोर्ट 27एफ कमीनपुरा में उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारी भूमि चक 33एफ पटवार मण्डल अरायण के मु0 नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 में है। जिस पर मेरा कब्जा काश्त है। मौके पर वाद विवाद या न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। मिकर सर्वसहमति से चक 33एफ के मु0 नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जो कि मु0 नं0 36 के किला नं0 1 में 0.013 है0 ,किला नं0 2 में 0.013 है0, किला नं0 3 में 0.013 है0 ,किला नं0 4 में 0.012 है0, किला नं0 5 में 0.012 है0, कुल 0.063 है0 रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो मुझे कोई ऐतराज नही है। मिकर पूर्ण रूप से सहमत है। इस रास्ता के बदले मै कोई राशि नही चाहता। मैं रास्ता सहमति से दे रहा हूं। किला नं0 1 ता 5 जिसमे से रास्ता दिया जा रहा है। इस किलों पर मेरा अर्थात जगदीश सिंह पुत्र गुरदत सिंह का कब्जाकाश्त है। इस रास्ता को दिये जाने बाबत भविष्य में कोई वाद विवाद होता है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार होउंगा। मिकर द्वारा सहमति पत्र पूर्ण होशोहवास एवं बिना किसी दबाव के लिखवाया है। कैम्प में प्रार्थी राम सिंह व गुरप्यार सिंह उपस्थित आए। दोनो पक्षों की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत 27एफ कमीनपुरा द्वारा की गयी। प्राप्त सहमति पत्र पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 33एफ के मु0 नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.013 है0 कुल रकबा 0.063 है0 जगदीश सिंह, गमदूर सिंह, शिवराज सिंह , जसवीर सिंह पिसरान गुरदत सिंह 1.542 है0 सांझा खाता में दर्ज है। किला नं0 1 ता 5 जगदीश सिंह आदि के कब्जाकाश्त में है। मु0 नं0 36 व 28 के खातेदार सहमति से मु0 नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.013 है0 कुल 0.063 है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। इस रास्ता को स्वीकृत करने की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण चक 33एफ के मु0 नं0 28 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि चक 33एफ के मु0 नं0 36 के किला नं0 1 ता 5 में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसे देने के लिए जगदीश सिंह सहमत है व इस रास्ता के बदले कोई राशि नही लेना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं साक्ष्य सबूत एवं जगदीश सिंह के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र तथा तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए स्वीकार किया जाकर चक 33एफ के मु0 नं0 36 के किला नं0 1 में 0.013 है0 ,किला नं0 2 में 0.013 है0, किला नं0 3 में 0.013 है0, किला नं0 4 में 0.012 है0, किला नं0 5 में 0.012 है0, कुल 0.063 है0 गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अप्रार्थी यह रास्ता सहमति से दे रहा है। अतः इस रास्ता के बदले कोई राशि या भूमि देय नही होगी। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो।पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner